GCMSसंख्या 2021/532
प्रकरण संख्या 74/21
शंकरलाल बनाम राज्य सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/532

प्रकरण संख्या 74/21

अनवान

1. शंकरलाल पिता श्री हिराजी मीणा निवासी आम्बा का गुडा तहसील भीण्डर जिला उदयुपर राज0।
2. श्री भीमा पिता श्री पदमाजी मीणा निवासी आम्बा का गुडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

–: :निर्णय: :– दिनांक :–22.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आम्बा का गुडा पटवार हल्का सिहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 में खाता संख्या 60 नई, पुरानी 61 में आराजी नम्बर 227 से 231 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/8 व प्रार्थी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। यह कि हम प्रार्थीगण की जाति मीणा हैं परन्तु सहवन से पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में मीणा अंकित नहीं करते हुए रावत अंकित कर दिया जबकि हमारी जाति मीणा हैं हमारी जाति की ताईद में भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, आधारकार्ड, बने हुए हैं जिसमें हमारी जाति मीणा अंकित की हुई हैं। अतः राजस्व रेकर्ड में जॅहा–जॅहा रावत अंकित किया गया है उसे हटाया जाकर मीणा अंकित कराये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेकर्ड अनुसार गत जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता संख्या [illegible] नवीन जमाबंदी संवत् 2078–81 खाता संख्या 49 में वादीगण की जाति रावत दर्ज है [illegible] वादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज राशनकार्ड में वादी की जाति रावत दर्ज है जबकि जनआधारकार्ड व भामाशाह कार्ड में जाति मीणा दर्ज है। राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी की जाति मीणा दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:41 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना

Scanned with OKEN Scanner

पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 60 में त्रुटि से प्रार्थी की जाति मीणा से रावत अंकित किये जाने से उसे दुरस्त कर मीणा अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया कि प्रार्थी की जाति गत जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता संख्या 60 व नवीन जमाबंदी संवत् 2078–81 खाता संख्या 49 में प्रार्थीगण की जाति रावत दर्ज है। प्रार्थी के राशनकार्ड में भी प्रार्थी की जाति रावत दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो की प्रार्थी की जाति मीणा है। प्रार्थीगण के खातेदारी की गत जमाबंदी व नवीन जमाबंदी दोनो में ही प्रार्थीगण की जाति रावत दर्ज है जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण का कथन की सहवन से प्रार्थीगण की जाति मीणा से रावत दर्ज हुई है जो कि गलत है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहें है कि पूर्व में उनकी जाति मीणा थी जो सहवन से रावत दर्ज हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—::आदेश::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 22.09.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner